आसाराम बनाम प्रभातीलाल वगै.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
5-18	राज० - 20/2018 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 [illegible] राजस्व (पुनः–1) विभाग जयपुर के [illegible] 12 (15) राज–1/2016 [illegible] — का प्रस्तुत एवं [illegible] प्रदत्त टास्क निर्देशों को [illegible] पत्रावली पूर्व [illegible] 8-6-18 को तलब हाजिर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देश [illegible] अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible] अटल सेवा केन्द्र — हांसपुर — में दिनांक – 8-6-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को सूचित करें। Gm.	
2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– हांसपुर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 2013 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है। प्रकरण अन्तिम बहस में लम्बित है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर तादौराने मूल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के फैसले तक उभय पक्षकारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233 कुल किता 7 कुल रकबा 8.74 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हॉसपुर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प– हॉसपुर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। Gm (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–हॉसपुर	

Scanned by CamScanner